बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

आदेश

संख्या–स्था/वि0–09–23/2016–3581/ दिनांक 12 अप्रैल, 2016

बिहार कार्यपालिका नियमावली–1979, संशोधित नियमावली–2007 (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–602 दिनांक–20–03–2007) की प्रथम अनुसूची में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके कार्यों का उल्लेख है। उक्त अनुसूची के क्रमांक–5 में गृह विभाग का नाम अंकित है तथा गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं (यथा– विशेष शाखा, आरक्षी शाखा, कारा) का उल्लेख है।

गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं को गृह (विशेष) विभाग, गृह (आरक्षी) विभाग एवं गृह (कारा) विभाग के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, जो बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली, 2007 के अनुरूप नहीं है।

वर्णित स्थिति में आदेश दिया जाता है कि गृह विभाग के विभिन्न शाखाओं से निर्गत होने वाले पत्र/अधिसूचना/संकल्प/संलेख एवं संचिका इत्यादि में अथवा जहाँ भी विभाग का नाम लिखा जाना हो, वहाँ बिहार कार्यपालिका संशोधित नियमावली, 2007 के अनुरूप निम्न प्रकार से अंकित किया जाएगा :–

(i) गृह विभाग (विशेष शाखा), अथवा (ii) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), अथवा (iii) गृह विभाग (कारा)

2– यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– स्था/वि0–09–23/2016– 3581 पटना, दिनांक 12 अप्रैल, .2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त (बिहार)/सभी जिला पदाधिकारी (बिहार)/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक (बिहार)/सभी विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी, गृह विभाग (विशेष शाखा, आरक्षी शाखा एवं कारा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपरोक्त आदेश से अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराने की कृपा की जाए।

12.4.16
सरकार के प्रधान सचिव।

11-04-16